

अधिसूचना (घोषणा)

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यवसाय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु रणधीसर सब माईनर के कुल 04 चको में 06 डिब्बियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित क्षेत्र की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को कथित भूमि को अवाप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है।


प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3 (2)इगानवि/भूअ/2018 दिनांक 19.03.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विज्ञप्ति में वैधता अवधि दिनांक 19.03.2021 से 1 वर्ष अर्थात् 18.03.2022 तक बढ़ाई गई है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर तथा अधिशासी अभियन्ता, 20वां खण्ड इगानप बीकानेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न-सूची

आज्ञा से


(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।


क्रमांक एफ.3 (2)इगानवि/विशा/2018

जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 9 SEP 2021

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता इगानप बीकानेर ।
2. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/ अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को प्रेषितकर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर उसकी एक उद्धरण प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें ।
3. जिला कलेक्टर बीकानेर ।
4. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय चरण वृत्त प्रथम इगानप बीकानेर ।
5. अधिशासी अभियन्ता 20वां खंड इगानप बीकानेर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है।
(क (इस अधिसूचनाको जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें ।
(ख (इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु ।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी इगानप को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का सारांश सूचनाथ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. उपखंड अधिकारी पुगल/उपायुक्त उपनिवेशन इगानप बीकानेर ।
8. उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर लिफ्ट तहसील कोलायत जिला बीकानेर
9. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जयमलसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
- ✓ 10. प्रकोष्ठ-6, इगानप, जयपुर को उक्त अधिसूचना (घोषणा) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे ।
11. श्री पवन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक, इगानप, जयपुर को गजट नोटिफिकेशन को तुरन्त ऑन लाईन करने हेतु।
12. रक्षा पत्रावली।



(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।

विवरण सूची

धारा 19 के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत की कार्यवाही हेतु पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर प्रणाली में फव्वारा पदवृत्ति से सिंचाई हेतु रणधीसर सब माईनर के कुल 04 चको में 06 डिगियाँ के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम भानीपुरा/अमरपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर के प्रभावित होने वाले काश्तकारों की भूमि का विवरण

क्र.सं	गांव का नाम	चकनं० डिग्गी	भूमि धारक का नाम	ख०सं०	खसरे का कुल रकबा है०में	अवाप्त की जाने वाली भूमि का बीघा/ बीस्वा	किस्म भूमि	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भानीपुरा	1 RNSM Diggi A	माया देवी पत्नी बाबूराम सुरेन्द्र कुमार आषारानी उषारानी ओमप्रकाश नरेन्द्र कुमार अनिल कुमार पंकज कुमार स्वीफार पुत्र पुत्रिया बाबूराम जाति चावला सा बीकानेर हा.मु संगरिया वार्ड नं 5 बहिब गैर खातेदार	46/3	73.05	4-00	बारानी	
2	भानीपुरा	2 RNSM Diggi A	मूलाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल सा देह गैर खातेदार	68/4	22.10	4-00	बारानी	
3	भानीपुरा	2 RNSM- A Diggi A&B	भंवरसिंह सोहन सिंह करणीसिंह अनोपसिंह पि हरीसिंह गोपा पत्नी स्व हरीसिंह जाति राजपूत बरसिंह भाटी सा देह खातेदार हिस्सा करणी सिंह सोहन सिंह अनोपसिंह रहन एसबीआई शाखा जयमलसर	39/6	98.12	8-00	बारानी	
4	भानीपुरा	3 RNSM Diggi A&B	शगनलाल पुत्र निहालचन्द जाति सेतिया सा इंडस्ट्रिज एरिया बीकानेर गैर खातेदार	70/14	48.00	8-00		
			योग			24-00		